जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/ दिनांक ....

/ / **स्मरण पत्र** / /

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

विषय :– महाविद्यालय स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछ्डा वर्ग प्रकोष्ठ का गठन करने बावत्।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ju/par/10/3250 दिनांक 09.08.2010 द्वारा आपसे आग्रह किया गया था कि महाविद्यालय स्तर पर एक अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का गठन कर सत्रावधि में न्यूनतम 3 बैठक आयोजित की जावें तथा यह प्रकोष्ठ अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में शासन की कल्याण कारी योजनाओं यथा महाविद्यालय में प्रवेश, छात्रवृत्ति के आवंटन विषयक कार्यवाही की नियमित समीक्षा करें ताकि शासन की नीतियों तथा योजनाओं का पालन सुनिश्चित किया जा सकें।

आप सहमत होंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति के हित सम्बर्द्धन संबंधी योजनाओं का क्रियांव्यन शासन की विशेष नीतियों कें अंतर्गत आता है। और इनका लागू किया जाना संवैधानिक दायित्व है जिसके उल्लंघन की स्थिति में दोषी संबधित संस्था/पदाधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही हो सकती है।

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि प्रकोष्ठ का गठन कर तत्काल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं म0प्र0 शासन को संबधित बेबसाइड पर सूचित करने का कष्ट करें।

यदि आपके द्वारा पूर्व में प्रकोष्ठ का गठ किया जा चुका हो तो भी तत्संबंधी जानकारी बेबसाइड पर भी उपलब्ध करायें।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0शासन भोपाल।
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

जनसम्पर्क अधिकारी